अध्याय - 2

बिहार प्रशासनिक सेवा

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 11 फरवरी, 2010

विषय :– विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान रु० 14,300–18,300 (अपुनरीक्षित) में सृजित 07 (सात) पदों का बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के संवर्गीय पदों की चिह्नित सूची में समावेश।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 6070 दिनांक 04.06.2008 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों एवं उसकी संख्या निर्धारित एवं चिह्नित की गयी है जिसके अनुसार संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान रु० 14,300–18,300 (अपुनरीक्षित) में 68 (अड़सठ) पद चिह्नित हैं।

2. नीचे अंकित विभागों में स्तम्भ–3 में अंकित पदनाम से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान् रु० 14,300–18,300 (अपुनरीक्षित) में पद सृजित हैं जिनका समावेश विभागीय संकल्प सं० 6070 दिनांक 04.06.2008 की सूची–'ख' में नहीं है :–

क्रमांक	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	राज्यादेश संख्या / संकल्प संख्या एवं तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रम संसाधन विभाग	संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, बिहार भवन, दिल्ली	01	22 / 09.01.07
2	ग्रामीण कार्य विभाग	संयुक्त सचिव	01	6354 / 23.10.07
3	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	संयुक्त निदेशक (मुख्यमंत्री के परामर्शी के अधीन)	01	968 / 11.06.09
4	कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग	संयुक्त सचिव	01	3228 / 30.05.08
5	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	अपर सचिव / संयुक्त सचिव	01	25 / 10.09.07
6	समाज कल्याण विभाग	संयुक्त सचिव	01	962 / 31.08.07
7	अभियोजन निदेशालय	उप महानिदेशक (अभियोजन)	01	पत्रांक 422 दिनांक 24.06.09

3. राज्य सरकार के निर्णयानुसार उपर्युक्त कंडिका–2 में यथावर्णित 07 (सात) पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान रु० 14,300–18,300 (अपुनरीक्षित) में चिह्नित करते हुए विभागीय संकल्प सं० 6070, दिनांक 04.06.08 की सूची–'ख' में एतद् द्वारा समाविष्ट किया जाता है जिसके फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चिह्नित संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पदों की संख्या 68 (अड़सठ) से बढ़कर 75 (पचहत्तर) हो जायेगी (परिशिष्ट–1 संलग्न)।

4. परिशिष्ट–1 का क्रमांक–2 (ii) संयुक्त निदेशक का पद अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के परामर्शी के कार्यकाल तक के लिए सृजित है जो उनके परित्याग के साथ ही स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

आदेश –आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1012/2009 का०–1428 पटना–15, दिनांक 11 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1012/2009 का०–1428 पटना–15, दिनांक 11 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1012/2009 का०–1428 पटना–15, दिनांक 11 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि–(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.02.2010, मद संख्या–07 के कार्यान्वयन हेतु)/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी टी०सी०एस०, मुख्य सचिवालय, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

परिशिष्ट – 1

वेतनमान 14,300–18,300 (संयुक्त सचिव एवं समकक्ष)

क्रम०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	1
2.	मुख्यमंत्री सचिवालय (i) संयुक्त सचिव	1
	(ii) संयुक्त निदेशक (मुख्यमंत्री के परामर्शी के अधीन)	1
3.	गृह विभाग (आरक्षी/विशेष)	2
4.	योजना एवं विकास विभाग	1
5.	वित्त विभाग	2
	वित्त विभाग (सांख्यिक वित्त शाखा)	1
6.	ग्रामीण विकास विभाग	3
7.	नगर विकास एवं आवास विभाग	1
8.	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/दरभंगा/ आरा/बिहारशरीफ/गया	6
9.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	1
10.	स्वास्थ्य विभाग	3
11.	मानव संसाधन विकास विभाग (निदेशक प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव सहित)	3
12.	(i) उद्योग विभाग (ii) अपर निदेशक, उद्योग	2 1
13.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	1
14.	कृषि विभाग	1
15.	सहकारिता विभाग	2
16.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1
17.	जल संसाधन विभाग	2
18.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2
19.	आपदा प्रबंधन विभाग	1
20.	श्रम संसाधन विभाग (i) संयुक्त सचिव	1
	(ii) संयुक्त श्रमायुक्त, सामाजिक सुरक्षा, बिहार भवन, दिल्ली	1

21.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
22.	खनन एवं भूतत्व विभाग	1
23.	लघु जल संसाधन विभाग	2
24.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2
25.	संयुक्त निदेशक, चकबंदी (पटना / गया / मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ)	4
26.	संयुक्त निदेशक, नियोजन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1
27.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1
28.	बन्दोवस्त पदाधिकारी (पटना / गया / भागलपुर / भोजपुर / सहरसा एवं दरभंगा)	6
29.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1
30.	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1
31.	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग	1
32.	सचिव, राज्य कर्मचारी चयन आयोग	1
33.	संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग	1
34.	संयुक्त सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी	5
35.	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग	1
36.	सचिव, राज्य सूचना आयोग	1
37.	संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	1
38.	संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग	1
39.	संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	1
40.	उप महानिदेशक (अभियोजन) (अभियोजन निदेशालय)	1
	कुल –	**75**

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 28. 01. 2010

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–6070 दिनांक 04.06.2008 एवं 5349 दिनांक 08.06.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों एवं उनकी संख्या निर्धारित एवं चिह्नित हैं :

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक स्तर	रु० 16,400—20,000	04
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष	रु० 14,300—18,300	68
3	उप सचिव/अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष	रु० 12,000—16,500	355
4	अवर सचिव/अनुमंडल पदाधिकारी एव समकक्ष	रु० 10,000—15,200	687
5	मूल कोटि	रु० 6,500—10,500	1684
6	प्रशिक्षण सुरक्षित	रु० 6,500—10,500	80
	कुल पद बल		2878

2. बिहार प्रशासनिक सेवा को राज्य सरकार ने "प्रीमियर सेवा" का दर्जा दिया है। अतः आवश्यक है कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाए। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य बेसिक ग्रेड के पदों पर अत्यधिक लम्बी अवधि तक पदस्थापित रहने के कारण उच्चतर पद अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोन्नति के पदों पर जब पदस्थापित होते हैं तो उनकी आयु अधिक होने के कारण क्षेत्रीय प्रशासन में युवा तथा परिश्रमी पदाधिकारियों की कमी रहती है और उनकी प्रशासनिक क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है।

3. उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन कर इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान किया जाय ।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करने के क्रम में निम्न निर्णय लिये जाते हैं :–

(1) पुनर्गठित बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए संवर्गीय पदों की संख्या एवं संरचना निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित)	पदों की संख्या	कालावधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मूल कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष)	रु० 8,000–13,500	273	–	संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार
2	उप सचिव एवं समकक्ष	रु० 10,000–15,200	176	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुसार
3	अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष	रु० 12,000–16,500	159	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'ग' के अनुसार
4	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष	रु० 14,300–18,300	131	5 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'घ' के अनुसार
5	अपर सचिव एवं समकक्ष	रु० 16,400–20,000	48	2 वर्ष	संलग्न अनुसूची 'च' के अनुसार
6	विशेष सचिव एवं समकक्ष	रु० 18,400–22,400	24	–	संलग्न अनुसूची 'छ' के अनुसार
7	प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित (कुल संवर्ग बल 811 का @5%)	रु० 8,000–13,500	40		
	कुल पद बल –		851		

(2) बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रथम नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड में वेतनमान रु० 8,000–13,500/– (अपुनरीक्षित) में होगी। इस कोटि में अनुमंडल पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला समाहरणालयों में वरीय उप समाहर्त्ता के वर्त्तमान में उपलब्ध चिह्नित पद तथा कुछ अन्य पद शामिल करते हुए पदबल की संख्या निर्धारित किये गए हैं, तदनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा भर्त्ती नियमावली एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा नई भर्त्ती/संवर्ग सेवा नियमावलियों का गठन किया जायेगा।

(3) बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के अधिकारी, प्रखंड/अंचल/नगर निगम/नगर निकाय एवं प्राधिकार आदि में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार चकबंदी/बंदोबस्त/आपूर्त्ति/निर्वाचन तथा अन्य सभी विभागों के वेतनमान रु० 8,000–13,500/– (अपुनरीक्षित) के समकक्ष या इससे नीचे के पदों पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा बिहार

प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी बेसिक ग्रेड पर रहते हुए विभिन्न विभागों के उपर्युक्त पदों (प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी सहित) पर कार्य कर रहे हैं, को चरणबद्ध ढंग से हटा लिया जायेगा।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप निर्धारित पदबल अधिसूचित करेगा तथा पूर्व से चिह्नित शेष पदों को विभिन्न विभागीय संवर्गों से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए उपलब्ध समझा जाएगा जिसके लिए सभी संबंधित विभाग अपने–अपने स्तर पर नियमावली बना लेंगे या संशोधित कर लेंगे। उपर्युक्त कंडिका–(1) में क्रमांक 1 के पदों के लिए पूर्व में चिह्नित वेतनमान रु० 10,000–15,200 (अपुनरीक्षित) के पदों को अवक्रमित किया जाता है तथा क्रमांक 3, 4 एवं 5 के कुछ पद उप सचिव/ अपर समाहर्त्ता के नाम से चिह्नित हैं को उत्क्रमित एवं पदनाम में परिवर्तन किया जाता है। अवक्रमित/उत्क्रमित/सृजित पदों को अनुसूची– 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'च' एवं 'छ' में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जितने पदों को इस सेवा संवर्ग में चिह्नित किया गया है यदि पूर्व से उक्त पद सृजित नहीं हों तो उन्हें सृजित/पदनामित करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

(5) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में 25% पदों को भरने की व्यवस्था तुरंत के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु चली आ रही अग्रणीत रिक्तियाँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त समझी जायेंगी। किन्तु न्यायालय के आदेश से जिन ऐसी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है, उसे जारी रखा जाएगा।

(6) जब तक अन्य विभागीय संवर्गों में प्रोन्नति हेतु चिह्नित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड में कार्यरत अधिकारी निर्धारित कालावधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते हैं, तब तक उन सेवाओं के पदों पर पूर्व की भाँति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किए जाते रहेंगे ।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी। प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संस्थागत प्रशिक्षण के क्रम में उन्हें राज्य एवं देश के उत्कृष्ट प्रशिक्षक, प्राध्यापक एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी जानकारी एवं प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिये उन्हें देश के विभिन्न उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिलाने तथा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु भ्रमण कराने के लिये भी व्यवस्था करायी जायेगी। इसी प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवाकाल में नियमित अवधि पर उत्कृष्ट कोटि के सेवाकालीन लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ताकि वे प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान तथा विशेषज्ञता प्राप्त कर वरीय पदों को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर सकें ।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे ।

7. यह आदेश 01.04.2010 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव ।

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1004 / 2008 का०–942 पटना–15, दिनांक 28.1.2010

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1004 / 2008 का०–942 पटना–15, दिनांक 28.1.2010

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1004 / 2008 का०–942 पटना–15, दिनांक 28.1.2010

प्रतिलिपि – सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / लोकायुक्त, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी कोषागार पदाधिकारी / प्रभारी, टी०सी०एस० (आई०डब्लू०डी०एम०एस० सॉफ्टवेयर पर प्रकाशित करने हेतु), मुख्य सचिवालय, पटना / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बोर्ड / निगम / उपक्रमों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

अनुसूची – (क)

बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के वेतनमान (रु0 8,000–13,500 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

(1)	अनुमंडल पदाधिकारी	–	97
(2)	समाहरणालय में वरीय उप समाहर्त्ता	–	176

पटना	–	10
नालंदा	–	05
रोहतास	–	05
कैमूर	–	03
भागलपुर	–	05
बक्सर	–	03
गया	–	08
नवादा	–	04
जहानाबाद	–	03
अरवल	–	02
औरंगाबाद	–	04
सारण	–	06
सिवान	–	06
गोपालगंज	–	04
मुजफ्फरपुर	–	08
सीतामढ़ी	–	05
शिवहर	–	02
मोतिहारी	–	07
बेतिया	–	06
वैशाली	–	06
दरभंगा	–	07
मधुबनी	–	07
समस्तीपुर	–	07
सहरसा	–	03
सुपौल	–	04
मधेपुरा	–	03
पूर्णियाँ	–	05
अररिया	–	04
किशनगंज	–	03
कटिहार	–	05
भोजपुर	–	05
बाँका	–	03
मुंगेर	–	03
लखीसराय	–	02
शेखपुरा	–	02
जमुई	–	03
खगड़िया	–	03
बेगूसराय	–	05
		176

(3) प्रशिक्षण/अवकाश रक्षित–

कुल योग – 40

313

अनुसूची–(ख)

बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान (रु० 10,000–15,200 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1.	उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	–	01
2.	उप सचिव, गृह विभाग	–	01
3.	उप सचिव, वित्त विभाग	–	01
4.	उप सचिव, कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग	–	01
5.	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	01
6.	उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	–	01
7.	उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	–	01
8.	उप सचिव, विधि विभाग	–	01
9.	उप सचिव, जल संसाधन विभाग	–	01
10.	उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	–	01
11.	उप सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	01
12.	उप सचिव, अनु0जाति/जनजाति कल्याण विभाग	–	01
13.	उप सचिव, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	–	01
14.	उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग	–	01
15.	उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	–	01
16.	उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	–	01
17.	उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	–	01
18.	उप सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	–	01
19.	उप सचिव, ऊर्जा विभाग	–	01
20.	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	–	01
21.	उप सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	–	01
22.	उप सचिव, पर्यटन विभाग	–	01
23.	उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग	–	01
24.	उप सचिव, नगर विकास विभाग	–	01
25.	उप सचिव, उद्योग विभाग	–	01
26.	उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	–	01
27.	उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	–	01
28.	उप सचिव, कृषि विभाग	–	01
29.	उप सचिव, सहकारिता विभाग	–	01
30.	उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	–	01
31.	उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग	–	01

32.	उप सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	–	01
33.	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	–	01
34.	उप सचिव, वाणिज्यकर विभाग	–	01
35.	उप सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	–	01
36.	उप सचिव, पथ निर्माण विभाग	–	01
37.	उप सचिव, भवन निर्माण विभाग	–	01
38.	उप सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	–	01
39.	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–	01
40.	उप सचिव, परिवहन विभाग	–	01
41.	उप सचिव, पंचायती राज विभाग	–	01
42.	उप सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	–	01
43.	उप सचिव, निगरानी विभाग	–	01
44.	उप सचिव, निर्वाचन विभाग	–	01
45.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय पटना	–	03
46.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय गया	–	01
47.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय सारण	–	01
48.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय मुजफ्फरपुर	–	02
49.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय दरभंगा	–	01
50.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय सहरसा	–	01
51.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय पूर्णियाँ	–	01
52.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय भागलपुर	–	01
53.	नगर दंडाधिकारी, समाहरणालय मुंगेर	–	01
54.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	25
55.	उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	–	01
56.	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	–	25
57.	उप निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग	–	01
58.	जिला परिवहन पदाधिकारी	–	17
59.	उप परिवहन आयुक्त (मुख्यालय)	–	01
60.	उप निदेशक (प्रशासन), मानव संसाधन विकास विभाग	–	01
61.	सहायक निदेशक, (मुख्यालय), पंचायती राज विभाग	–	01
62.	<u>जल संसाधन विभाग</u>		
	(i) सचिव, सोन कमांड एरिया विकास प्राधिकार, पटना	–	01
	(ii) सचिव, काडा, भागलपुर	–	01
	(iii) सचिव, कोशी कमांड एरिया विकास प्राधिकार, सहरसा	–	01

63. <u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>

	(i) प्रशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा	—	01
	(ii) उप निदेशक, उर्दू (राजभाषा शाखा)	—	01
	(iii) मंत्री के आप्त सचिव	—	26
64.	सहायक निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	—	01
65.	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>		
	(i) उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन	—	02
	(ii) सचिव, नगर निगम	—	07
66.	सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय (वित्त विभाग)	—	02
67.	उप निदेशक, पर्यटन (पर्यटन विभाग)	—	01
68.	विशेष दंडाधिकारी, निगरानी (मुख्यालय,) निगरानी विभाग	—	02
69.	उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग	—	<u>02</u>
	कुल	—	176

उपर्युक्त सूची क्रमांक–1 से 44 तक के पदों में से अवर सचिव पदनाम से 25 (पच्चीस) एवं खाद्यायुक्त के सचिव पदनाम से 01 (एक) पद सृजित एवं चिह्नित हैं, जिन्हें उप सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है तथा शेष 18 (अठारह) पद सृजित/चिह्नित किया जाता है ।

क्रमांक–45 से 53 तक नगर दंडाधिकारी के 12 (बारह) पदों को कार्यपालक दंडाधिकारी के पूर्व से चिह्नित पदों से उत्क्रमित किया जाता है। ये सभी पद floating होंगे। सूची क्रमांक–56 के 25 (पच्चीस) पद एवं क्रमांक–62 के 03 (तीन) पद पूर्व से रु० 12,000–16,500 में चिह्नित हैं, को वेतनमान् रु० 10,000–15,200 में अवक्रमित किया जाता है तथा सूची क्रमांक–65 (ii) सचिव, नगर निगम के 07 (सात) पद मूल कोटि के वेतनमान में पूर्व से चिह्नित हैं, जिन्हें वेतनमान् रु० 10,000–15,200 में उत्क्रमित किया जाता है।

अनुसूची–(ग)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान (रु० 12,000–16,500 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1.	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	—	28
2.	अपर समाहर्त्ता (प्रत्येक जिला के लिए)	—	38
3.	अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) (सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों के लिए)	—	09
4.	अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम (पटना/गया/भोजपुर/रोहतास/नालंदा/ औरंगाबाद/जहानाबाद/नवादा/जमुई)	—	09
5.	अपर समाहर्त्ता, (आपदा प्रबंधन) (सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/	—	18

शिवहर / पूर्वी चम्पारण / पश्चिम चम्पारण /
वैशाली / मधुबनी / समस्तीपुर / सुपौल / मधेपुरा /
पूर्णियाँ / अररिया / किशनगंज / कटिहार / मुंगेर एवं बेगूसराय)

6.	अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति, पटना	–	01
7.	अपर जिला दंडाधिकारी, पटना	–	01
8.	विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	–	01
9.	उप निदेशक, खाद्य (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	–	09
10.	उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	–	01
11.	आयुक्त के सचिव (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	–	09
12.	पंचायती राज विभाग		
	(i) उप निदेशक, पंचायती राज्य (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	–	09
	(ii) अनुश्रवण पदाधिकारी	–	01
13.	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	–	09
14.	संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (ऊर्जा विभाग)	–	02
15	महाप्रबंधक, बिहार स्टेट विवरेजेज कॉरपोरेशन (निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	–	03
16.	संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (प्रत्येक प्रमंडल के लिए) (परिवहन विभाग)	–	09
17.	संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग	–	02
	कुल	–	159

क्रमांक–3 : अपर समाहर्त्ता (विधि–व्यवस्था) का 01 (एक) पद पूर्व से सृजित एवं चिह्नित है । शेष 08 (आठ) पद सृजित किया जाता है ।

क्रमांक–4 : अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम के 09 (नौ) पद के विरुद्ध अपर समाहर्त्ता, नक्सल पदनाम से 06 (छह) पद पूर्व से सृजित हैं। शेष 03 (तीन) पद जहानाबाद, नवादा एवं जमुई के लिए सृजित करते हुए सभी 09 (नौ) पदों को अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम के रूप में पदनामित किया जाता है ।

क्रमांक–9 : उप निदेशक (खाद्य) के 03 (तीन) पद पूर्व से सृजित एवं चिह्नित हैं। शेष 06 (छह) पदों (मगध / सारण / मुंगेर / दरभंगा / पूर्णियाँ एवं सहरसा प्रमंडल के लिये) को सृजित किया जाता है।

क्रमांक–16 : संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का 08 (आठ) पद पूर्व से सृजित एवं चिह्नित हैं। मुंगेर प्रमंडल के लिए 01 (एक) पद सृजित किया जाता है।

अनुसूची–(घ)

बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान (रु० 14,300–18,300 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	–	03
2	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा शाखा)		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01

3	संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय	–	04
4	संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय	–	02
5	निर्वाचन विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	–	01
6	संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग	–	03
7	गृह विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव, (गृह विशेष)	–	02
	(ii) संयुक्त सचिव, (गृह आरक्षी)	–	02
	(iii) संयुक्त सचिव–सह–निदेशक प्रशासन, (गृह कारा)	–	01
8	वित्त विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	–	03
	(ii) संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा	–	02
	(iii) संयुक्त सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो शाखा	–	02
	(iv) संयुक्त निदेशक–सह संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बचत शाखा	–	01
9	योजना एवं विकास विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)	–	01
	(iii) संयुक्त सचिव, योजना पर्षद	–	01
10	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	04
11	पंचायती राज विभाग		
	(i) संयुक्त निदेशक–संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	–	01
	(iii) संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	–	01
	(iv) संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि)	–	01
12.	नगर विकास एवं आवास विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	–	02
	(ii) संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक	–	01
	(iii) अपर नगर आयुक्त (नगर निगम) (पटना / मुजफ्फरपुर / गया / दरभंगा / भागलपुर / नालंदा / भोजपुर) (प्रत्येक के लिए तीन पद)	–	21
13.	समाज कल्याण विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	–	02
	(ii) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	–	02
	(iii) संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	–	02
14.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
	(i) संयुक्त सचिव	–	02
	(ii) प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	–	01

15. <u>स्वास्थ्य विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 03

16. <u>मानव संसाधन विकास विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 03

17. <u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>
(i) संयुक्त सचिव — 01
(ii) संयुक्त निदेशक — 01

18. <u>गन्ना उद्योग विभाग</u>
(i) संयुक्त सचिव — 02
(ii) संयुक्त निदेशक — 01

19. <u>पर्यावरण एवं वन विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 02

20. <u>बिहार लोक सेवा आयोग</u>
संयुक्त सचिव — 01

21. <u>जल संसाधन विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 03

22. <u>लघु जल संसाधन विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 02

23. <u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 03

24. <u>आपदा प्रबंधन विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 02

25. <u>श्रम संसाधन विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 01

26. <u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>
(i) संयुक्त सचिव — 02
(ii) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण — 01

27. <u>पथ निर्माण विभाग</u>
(i) संयुक्त सचिव — 01
(ii) विशेष पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव — 02

28. <u>भवन निर्माण विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 01

29. <u>संसदीय कार्य विभाग</u>
संयुक्त सचिव — 01

30 <u>परिवहन विभाग</u>
(i) संयुक्त सचिव — 01
(ii) संयुक्त परिवहन आयुक्त — 02

31 <u>राजस्व पर्षद</u>
संयुक्त सचिव — 01

32	<u>पर्यटन विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) संयुक्त पर्यटन निदेशक	–	01
	(iii) महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	–	01
33	<u>कला, संस्कृति एवं युवा विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	–	01
34	<u>लोकायुक्त कार्यालय</u>		
	संयुक्त सचिव	–	01
35	<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	–	01
36	<u>व्यवस्थापक, बेतिया राज</u>		
	(राजस्व पर्षद)	–	01
37	<u>सहकारिता विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)	–	01
38	<u>कृषि विभाग</u>		
	(i) संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	–	01
39	<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	–	02
40	<u>ऊर्जा विभाग</u>		
	संयुक्त सचिव	–	01
41	<u>ललित नारायण मिश्रा इन्स्टीच्यूट आर्थिक विकास संस्थान, पटना</u>		
	कुलसचिव	–	01
42	<u>बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम</u>		
	(i) प्रमुख अधिप्राप्ति	–	01
	(ii) प्रमुख, वित्त	–	01
	(iii) प्रमुख, प्रशासन	–	01
43	<u>बिहार राज्य आवास बोर्ड</u>		
	(i) भू–सम्पदा पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव	–	01
	(ii) राजस्व पदाधिकारी	–	01
44	<u>श्रम संसाधन विभाग</u>		
	संयुक्त श्रमायुक्त, प्रवासी श्रमिक कोषांक, बिहार भवन, दिल्ली	–	01
45	संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार		<u>01</u>
	कुल	–	131

उपरोक्त सभी पद वेतनमान रु0 12,000–16,500 में स्वीकृत एवं चिह्नित हैं, जिन्हें संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान रु० 14,300–18,300 में उत्क्रमित किया जाता है ।

अनुसूची–(च)

बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान (रु० 16,400–20,000 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव	–	01
2	निदेशक–सह–अपर सचिव, राजभाषा	–	01
3	निदेशक–सह–अपर सचिव, भू–अर्जन (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	–	01
4	निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव (कृषि विभाग)	–	01
5	अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	–	01
6	अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय	–	01
7	अपर सचिव, गृह विभाग	–	01
8	अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग	–	01
9	अपर सचिव, वित्त विभाग (सांख्यिक वित्त शाखा)	–	01
10	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	01
11.	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>		
	(i) नगर आयुक्त (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, आरा एवं गया)	–	06
12.	अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	–	01
13.	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–	02
14.	निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव (मानव संसाधन विकास विभाग)	–	01
15.	अपर सचिव, उद्योग विभाग	–	01
16.	अपर निदेशक, उद्योग विभाग	–	01
17.	अपर सचिव–सह–अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय) (सहकारिता विभाग)	–	01
18.	अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	–	01
19.	अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग	–	01
20.	अपर निदेशक, नियोजन (श्रम संसाधन विभाग)	–	01
21.	अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	–	01
22.	अपर सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग	–	01
23.	अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	–	01
24.	अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	–	01
25.	अपर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	–	01

26.	अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	–	01
27.	अपर सचिव, परिवहन विभाग	–	01
28	संयुक्त निदेशक, चकबंदी (पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ)	–	04
29.	बंदोबस्त पदाधिकारी (पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं दरभंगा)	–	06
30	निदेशक (उर्दू)	–	01
31	सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड	–	01
32	सचिव, विश्वास बोर्ड	–	01
33	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग	–	01
34	सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग	–	01
	कुल	–	48

वेतनमान रु० 14,300–18,300 में पूर्व से चिह्नित 68 (अड़सठ) पदों में से 48 (अड़तालिस) पद को वेतनमान रु० 16,400–20,000 में अपर सचिव एवं समकक्ष के रूप में उत्क्रमित किया जाता है ।

अनुसूची–(छ)

बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव (वेतनमान 18,400–22,400 अपुनरीक्षित) के संवर्गीय पदों की सूची

1	विशेष सचिव, वित्त विभाग	–	01
2	विशेष सचिव, गृह विभाग	–	01
3	विशेष सचिव, निगरानी विभाग	–	01
4	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग	–	01
5	विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	01
6	विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	–	01
7	विशेष सचिव, उद्योग विभाग	–	01
8	विशेष सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	–	01
9	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग	–	01
10	विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	–	01
11.	विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	01
12.	विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	–	01
13.	विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	–	01
14.	विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग	–	01
15.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	–	01
16.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	–	01

17.	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग	–	01
18.	सचिव, राज्य सूचना आयोग	–	01
19.	सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार	–	01
20.	सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग	–	01
21.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम	–	01
22.	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग	–	01
23.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	–	01
24.	प्रबंध निदेशक, टेक्स्टबुक कमिटी	–	01
	कुल	–	24

वेतनमान रु० 18,400–22,400 में पूर्व से कोई पद चिह्नित नहीं है । इसके लिए पूर्व से वेतनमान रु० 14,300–18,300 में चिह्नित 68 (अड़सठ) पदों में से अतिरिक्त शेष बचे 20 (बीस) पदों एवं पूर्व से वेतनमान रु० 16,400–20,000 में चिह्नित 4 (चार) पदों को लेते हुए कुल 24 (चौबीस) पदों को वेतनमान रु० 18,400–22,400 में उत्क्रमित किया जाता है।

---

[3]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांकः 06.10.2009

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–7604 दिनांक 11.06.86 एवं 11974 दिनांक 25.10.1989 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों को वर्त्तमान में 64 (चौसठ) सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 14 (चौदह) सप्ताह का सांस्थिक प्रशिक्षण तथा 50 (पचास) सप्ताह का जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य सम्पादन में नये–नये तकनीक का समावेश, सूचना का अधिकार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम के प्रभाव में आने के फलस्वरूप इन पदाधिकारियों के पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है। इस संदर्भ में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा एक विस्तृत कन्सेप्ट नोट राज्य सरकार को समर्पित किया गया, जिसमें पूर्व के प्रशिक्षण कार्यक्रम को इन्टेक्ट रखते हुए कुछ नये महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की गयी हैं, जिन्हें लागू किया जाना आवश्यक समझा गया ।

2. राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से प्राप्त प्रतिवेदन पर भली–भाँतिपूर्वक विचार करने के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए कुल 80 (अस्सी) सप्ताह का पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लियां है :–

क्रम सं०	सप्ताह	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह)	अभ्युक्ति
1.	1–20	प्रथम चरण सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training)	20	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
2.	21–26	भारत दर्शन एवं राज्य के बाहर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में सांस्थिक प्रशिक्षण	06	Administrative Staff College of India/National Institute of Rural Development, Hyderabad and Others.
3.		क्षेत्रीय प्रशिक्षण (Field Training)		जिला/अनुमंडल एवं प्रखंड में।
	27–30	कोषागार प्रशिक्षण	04	
	31–32	राजस्व न्याय	02	
	33–34	न्यायिक प्रशिक्षण	02	
	35–37	जिला नजारत/राजस्व/सामान्य शाखा/गोपनीय शाखा	04	
	38	आपूर्ति	01	
	39	विकास	01	
	40	लेखा	01	
	42	परिवहन	01	
	43–44	जिला पंचायत/ग्रामीण विकास अभिकरण	02	
	45	अग्रणी बैंक/जिला सहकारिता बैंक	01	
	46	जिला कृषि/उद्यान एवं पशुपालन	01	
	47–50	सर्वे एवं बन्दोबस्त	04	
	51	रेकर्ड रूम/कॉपिंग एवं निलाम पत्र	01	
	52	सामान्य नयाचार	01	
	53	आरक्षी प्रशिक्षण	01	
	54	अनुमंडल पदाधिकारी के साथ	01	
	55–74	प्रखंड/अंचल प्रशिक्षण	20	प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में पूर्ण प्रभार।
4	75–78	द्वितीय चरण सांस्थिक प्रशिक्षण (Second phase Institutional Training)	04	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
5	79–80	विभिन्न प्रकरणों पर मूवमेंट/ट्रांजिट के लिए समय	02	
		कुल –	80 सप्ताह	

3. सरकार ने नये तकनीकी वातावरण में दक्षतापूर्वक कार्य करने के उद्देश्य से कार्यहित में बिपार्ड के प्रशिक्षकों एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए एक–एक लैपटॉप कम्प्यूटर मुहैया कराने का भी निर्णय लिया है। इस पर प्रारम्भिक वर्ष में होने वाले खर्च का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन करेगा।

4. यह पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सेवा के 47वीं बैच के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए चालू प्रशिक्षण सत्र से ही लागू होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

दीपक कुमार

सरकार के सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1005 / 2009 का०–9830 पटना–15, दिनांक 06.10.2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

दीपक कुमार

सरकार के सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12 / नि०–1005 / 2009 का०–9830 पटना–15, दिनांक 06.10.2009

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

दीपक कुमार

सरकार के सचिव।

---

[4]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 08. 06. 2009

विषयः– बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के निदेशक स्तर के वेतनमान रु० 16,400–20,000 (अपुनरीक्षित) में **"प्राधिकार के सचिव"** पदनाम से स्वीकृत 01 (एक) पद को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निदेशक स्तर के सम्वर्गीय पदों की चिह्नित सूची में समावेश।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–6070 दिनांक 04.06.08 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों एवं उसकी संख्या निर्धारित एवं चिह्नित है, जिसकी सूची "क" के अनुसार सम्प्रति निदेशक स्तर के वेतनमान रु० 16,400–20,000 में 03 (तीन) पद भी स्वीकृत एवं चिह्नित हैं।

2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम–14, 2008) के तहत् बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के गठन के फलस्वरूप प्राधिकार के कार्यों के सम्पादन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के राज्यादेश संख्या–3/एम–39/2008 का०–3228 दिनांक 30.05.2008 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के निदेशक स्तर के वेतनमान रु० 16,400–20,000 में **"प्राधिकार के सचिव"** पदनाम से एक पद सृजित किया गया है जिसे उपर्युक्त विभागीय संकल्प संख्या–6070 दिनांक 04.06.08 की सूची 'क' में एतद् द्वारा समाविष्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चिह्नित निदेशक स्तर के पदों की संख्या 03 (तीन) से बढ़कर 04 (चार) हो जाएगी जो निम्नानुसार है :–

1. निदेशक, जनशिक्षा ।
2. निदेशक, राष्ट्रभाषा ।
3. निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
4. प्राधिकार के सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–5349 पटना–15, दिनांक 08.06.2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–5349 पटना–15, दिनांक 08.06.2009

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

संकल्प ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–5349 पटना–15, दिनांक 08.06.2009

प्रतिलिपि–(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–26.05.09, मद संख्या–04 के कार्यान्वयन हेतु) सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 04. 06. 2008

विषयः– राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का चिह्नितीकरण ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 2311 दिनांक 14.03.1999, 2632 दिनांक 31.03.1999, 7276 दिनांक 19.12.2001 एवं संकल्प संख्या 1680 दिनांक 13.02.2002 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के पदों एवं उसकी संख्या निर्धारित एवं चिह्नित की गयी है।

2. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का चिह्नितीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के सम्वर्ग बल की संख्या एवं संरचना की समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों के लिये विभिन्न स्तर के सम्वर्गीय पदों का निम्नरूप में चिह्नितीकरण करने का निर्णय लिया है :–

क्र०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	निदेशक स्तर	16,400–20,000	3	सूची "क"
2.	संयुक्त सचिव / समकक्ष	14,300–18,300	68	सूची "ख"
3.	अपर समाहर्त्ता / समकक्ष	12,000–16,500	355	सूची "ग"
4.	अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष	10,000–15,200	687	सूची "घ"
5.	मूल कोटि	6500–10,500	1684	सूची "च"
6.	जिलावार वरीय उप समाहर्त्ता के पदों का आनुपातिक वितरण	–	–	सूची "छ"
7.	अनुमंडलवार कार्यपालक दंडाधिकारी के पदों का आनुपातिक वितरण	–	–	सूची "ज"
8.	प्रशिक्षण सुरक्षित	6500–10,500	80	–
	कुल पदबल		2877	

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–6070 पटना–15, दिनांक 04.06.2008

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–6070 पटना–15, दिनांक 04.06.2008

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–12/नि०–1016/2004 का०–6070 पटना–15, दिनांक 04.06.2008

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

(सूची 'क')

बिहार प्रशासनिक सेवा के निदेशक स्तर वेतनमान 16,400–20,000 के चिह्नित पद

1.	निदेशक, जन–शिक्षा	1
2.	निदेशक, राष्ट्रभाषा	1
3.	निदेशक, भू–अर्जन	1
	कुल	3 (तीन) पद

(सूची 'ख')

वेतनमान 14,300–18,300 (संयुक्त सचिव एवं समकक्ष)

क्र०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	1
2	मुख्यमंत्री सचिवालय	1
3	गृह विभाग (आरक्षी/विशेष)	2
4	योजना एवं विकास विभाग	1
5	वित्त विभाग	2
	वित्त विभाग (सांख्यिक वित्त शाखा)	1

6	ग्रामीण विकास विभाग	3
7	नगर विकास एवं आवास विभाग	1
8	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/दरभंगा/आरा/बिहारशरीफ/गया	6
9	कल्याण विभाग (अनु०जाति/जनजाति)	1
10	स्वास्थ्य विभाग	3
11	मानव संसाधन विकास विभाग (निदेशक प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव सहित)	3
12	(i) उद्योग विभाग	2
	(ii) अपर निदेशक, उद्योग	1
13	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	1
14	कृषि विभाग	1
15	सहकारिता विभाग	2
16	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1
17	जल संसाधन विभाग	2
18	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2
19	आपदा प्रबंधन विभाग	1
20	श्रम संसाधन विभाग	1
21	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
22	खनन एवं भूतत्व विभाग	1
23	लघु जल संसाधन विभाग	2
24	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1
25	संयुक्त निदेशक, चकबंदी (पटना/गया/मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ)	4
26	संयुक्त निदेशक, नियोजन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1
27	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1
28	बन्दोबस्त पदाधिकारी (पटना/गया/भागलपुर/भोजपुर/सहरसा एवं दरभंगा)	6
29	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1
30	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (संयुक्त सचिव–1)	1
31	सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग	1
32	सचिव, राज्य कर्मचारी चयन आयोग	1
33	संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग	1
34	संयुक्त सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी	5
35	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग	1
36	सचिव, राज्य सूचना आयोग	1
	कुल –	68

(सूची 'ग')

उप सचिव/अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष (वेतनमान रु0 12,000–16,500)

क्र०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3
2	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	1
	राजभाषा शाखा	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) निदेशक (उर्दू)	1
3	मुख्यमंत्री सचिवालय	4
4	राजभवन सचिवालय	2
5	निर्वाचन विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) उप सचिव–सह–उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1
6	राज्य निर्वाचन आयोग	
	(i) सचिव	1
	(ii) उप सचिव	1
7	निगरानी विभाग	3
8	गृह विभाग	
	(i) गृह (विशेष)	2
	(ii) गृह (आरक्षी)	2
	(iii) गृह (कारा) निदेशक, (प्रशासन)	1
9	वित्त विभाग	3
	(सांस्थिक वित्त शाखा)	3
	(लोक उद्यम ब्यूरो शाखा)	2
	(राष्ट्रीय बचत शाखा) संयुक्त निदेशक–सह–उप सचिव	1
10	भविष्य निधि निदेशालय (उप निदेशक, भविष्य निधि)	1
11	योजना एवं विकास विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)	1
	(iii) उप सचिव, योजना पर्षद	1
12	ग्रामीण विकास विभाग	4

13	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग) (पटना / गया / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / सहरसा / दरभंगा)	6
14	उप विकास आयुक्त	38
15	<u>पंचायती राज विभाग</u>	
	(i) उप निदेशक–उप सचिव	1
	(ii) अनुश्रवण पदाधिकारी	1
	(iii) उप निदेशक (निर्वाचन)	1
	(iv) उप निदेशक–सह–उप सचिव (विधि)	1
	(v) उप निदेशक, पंचायती राज (पटना / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / सहरसा / दरभंगा / सारण / पूर्णियाँ / मुंगेर एवं मगध)	9
16	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>	
	(i) उप सचिव	2
	(ii) उप सचिव–सह–निदेशक	1
	(iii) अपर नगर आयुक्त, (नगर निगम) (पटना / मुजफ्फरपुर / गया / दरभंगा / भागलपुर / नालंदा / भोजपुर) (प्रत्येक के लिए तीन पद)	21
17	<u>समाज कल्याण विभाग</u>	
	(i) उप सचिव	2
	(ii) उप निदेशक (मुख्यालय)	2
	(iii) उप निदेशक, समाज कल्याण	2
	(iv) उप निदेशक, कल्याण (प्रत्येक प्रमंडल के लिये)	9
18	<u>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</u>	
	(i) उप सचिव	2
	(ii) प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	1
19	<u>स्वास्थ्य विभाग</u> उप सचिव	3
20	<u>मानव संसाधन विकास विभाग</u> उप सचिव	3
21	<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) संयुक्त निदेशक	1
22	<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>	
	(i) उप सचिव	2

	(ii) संयुक्त निदेशक	1
23	पर्यावरण एवं वन विभाग उप सचिव	2
24	बिहार लोक सेवा आयोग उप सचिव	1
25	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग उप सचिव	1
26	जल संसाधन विभाग	
	(i) उप सचिव	3
	(ii) निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास	1
27	लघु जल संसाधन विभाग उप सचिव	2
28	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
	(i) उप सचिव	3
	(ii) अपर समाहर्त्ता	38
	(iii) आयुक्त के सचिव	9
	(iv) अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था, पटना	1
	(v) अपर समाहर्त्ता, नक्सल (पटना / गया / भोजपुर / रोहतास / नालंदा / औरंगाबाद)	6
	(vi) अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी (भागलपुर / रोहतास / गया / दरभंगा / मधुबनी / समस्तीपुर / बेतिया / मोतिहारी / पूर्णियाँ / कटिहार / सहरसा / मुंगेर)	12
	(vii) प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण	1
	(viii) प्राचार्य, सर्वे बन्दोवस्त प्रशिक्षण केन्द्र, बोधगया	1
	(ix) उप निदेशक, चकबंदी, (पटना / गया (2) / रोहतास / भोजपुर / सहरसा / पूर्णियाँ / कटिहार / किशनगंज / वैशाली / बेतिया / सीवान / मुजफ्फरपुर / सीतामढ़ी / समस्तीपुर)	15
	(x) प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त (पटना / गया / भोजपुर / सहरसा / दरभंगा एवं भागलपुर) (प्रत्येक के लिए दो पद)	12
	(xi) अपर जिला दंडाधिकारी, पटना	1
29	आपदा प्रबंधन विभाग	
	(i) उप सचिव	2
	(ii) अपर समाहर्त्ता (सहाय्य) (पटना / सीतामढ़ी / सहरसा / दरभंगा)	4
30	श्रम संसाधन विभाग उप सचिव	1
31	खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	
	(i) उप सचिव	2

	(ii) उप निदेशक (खाद्य) (पटना / भागलपुर / मुजफ्फरपुर)	3
	(iii) विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना	1
	(iv) अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्त्ति, पटना	1
	(v) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	1
32	पथ निर्माण विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) विशेष पदाधिकारी–सह–उप सचिव	2
33	भवन निर्माण विभाग	
	उप सचिव	1
34	संसदीय कार्य विभाग उप सचिव	1
35	गन्ना उद्योग विभाग उप सचिव	1
36	परिवहन विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) संयुक्त परिवहन आयुक्त	2
	(iii) संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (पटना / गया / मुजफ्फरपुर / सारण / भागलपुर / दरभंगा / पूर्णियाँ / सहरसा)	8
37	राजस्व पर्षद	
	उप सचिव	1
38	पर्यटन विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) संयुक्त पर्यटन निदेशक	1
	(iii) महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	1
39	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग उप सचिव	1
40.	लोकायुक्त कार्यालय उप सचिव	1
41	बिहार कर्मचारी चयन आयोग	
	संयुक्त सचिव (अपर समाहर्त्ता स्तर)	2
42	खान एवं भूतत्व विभाग उप सचिव	1
43	व्यवस्थापक, बेतिया राज (राजस्व पर्षद)	1
44	सहकारिता विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)	1
45	कृषि विभाग	
	(i) उप सचिव	1

	(ii) निदेशक–प्रशासन–सह–उप सचिव	1
46	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उप सचिव	2
47	बिहार राज्य विवरेज कॉरपोरेशन महाप्रबंधक, (अपर समाहर्त्ता स्तर) (निबंधक, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)	3
48	ऊर्जा विभाग	
	(i) उप सचिव	1
	(ii) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संयुक्त सचिव	2
49	ललित नारायण मिश्रा इन्स्टीच्यूट आर्थिक विकास संस्थान, पटना	
	कुल सचिव	1
50	उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना	1
51	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम	
	(i) प्रमुख अधिप्राप्ति	1
	(ii) प्रमुख, वित्त	1
	(iii) प्रमुख प्रशासन	1
	(iv) जिला प्रबंधक	25
52	बिहार राज्य आवास बोर्ड	
	(i) सचिव	1
	(ii) भू–सम्पदा पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव	1
	(iii) राजस्व पदाधिकारी	1
53	बिहार राज्य भंडार निगम प्रबंध निदेशक	1
54	जल संसाधन विभाग	
	(i) सचिव, सोन कमांड एरिया विकास प्राधिकार, पटना	1
	(ii) सचिव, काडा, भागलपुर	1
	(iii) सचिव, कोशी कमांड एरिया विकास प्राधिकार, सहरसा	1
55	सचिव, विश्वास बोर्ड (नगर विकास एवं आवास विभाग)	1
56	निदेशक, बिहार राज्य खेलकूद प्राधिकार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग)	1
57	सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (श्रम संसाधन विभाग)	1
58	संयुक्त श्रमायुक्त, प्रवासी श्रमिक कोषांग, बिहार भवन, दिल्ली (श्रम संसाधन विभाग)	1
	कुल	355

(सूची 'घ')

<u>अनुमंडल पदाधिकारी/अवर सचिव एवं समकक्ष पद</u>

(वेतनमान रु0 10,000–15,200)

क्र0	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	अनुमंडल पदाधिकारी	101
2	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>	
	(i) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	97
	(ii) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	37
	(iii) सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	1
	(iv) सहायक निदेशक, चकबंदी	14
	(v) अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	1
3	<u>खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग</u>	
	(i) जिला आपूर्ति पदाधिकारी	30
	(ii) उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	1
	(iii) खाद्य आयुक्त के सचिव	1
4	<u>समाज कल्याण विभाग</u>	0
	(i) जिला कल्याण पदाधिकारी	18
	(ii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	6
	(iii) विशेष पदाधिकारी (पौष्टिक आहार)	1
5	<u>कृषि विभाग</u> उप निदेशक (प्रशासन)	1
6	<u>मानव संसाधन विकास विभाग</u> उप निदेशक (प्रशासन) (प्राथमिक/माध्यमिक एवं जनशिक्षा)	3
7	<u>पंचायती राज विभाग</u>	
	(i) जिला पंचायती राज पदाधिकारी	37
	(ii) सहायक निदेशक, पंचायत राज (मुख्यालय)	1
8	<u>जल संसाधन विभाग</u> विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी	10
9	<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u> (i) नगर विमानन शाखा प्रशासी पदाधिकारी	1
	(ii) राजभाषा शाखा उप निदेशक, (उर्दू)	1

10	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सहायक निदेशक	1
11	नगर विकास एवं आवास विभाग (i) उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन	2
	(ii) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	42
12	भविष्य निधि निदेशालय (वित्त विभाग) सहायक निदेशक	2
13	ग्रामीण विकास विभाग	
	(i) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	38
	(ii) निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम (कैमूर / नवादा / अरवल / शिवहर / अररिया / किशनगंज / सुपौल / जमुई / लखीसराय / शेखपुरा एवं बाँका को छोड़कर)	27
14	पर्यटन विभाग उप निदेशक, पर्यटन	1
15	श्रम संसाधन विभाग उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	1
16	परिवहन विभाग	0
	(i) उप परिवहन आयुक्त	1
	(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी	17
17	अवर सचिव (सूची संलग्न)	25
18	उप समाहर्त्ता (प्रत्येक जिलावार सूची संलग्न)	164
19	उप सचिव (अनुमंडल पदाधिकारी स्तर) बिहार कर्मचारी चयन आयोग	2
20	निगरानी विभाग विशेष दंडाधिकारी (निगरानी)	2
	कुल	687

<u>बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए अवर सचिव के पदों की सूची</u>

(वेतनमान 10,000–15,200)

क्र०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1
2	गृह विभाग	3
	(i) गृह (विशेष) विभाग	2

	(ii) गृह (आरक्षी) विभाग	1
3	आपदा प्रबंधन विभाग	1
4	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2
5	ग्रामीण विकास विभाग	1
6	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	1
7	नगर विकास एवं आवास विभाग	1
8	लोकायुक्त कार्यालय	1
9	स्वास्थ्य विभाग	2
10	श्रम संसाधन विभाग	1
11	समाज कल्याण विभाग	1
12	गन्ना उद्योग विभाग	1
13	मुख्यमंत्री सचिवालय	1
14	सहकारिता विभाग	1
15	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1
16	वित्त विभाग	1
17	पंचायत राज विभाग	1
18	निगरानी विभाग	1
	कुल	25

(सूची 'च')

<u>बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए बेसिक ग्रेड (मूल कोटि) एवं समकक्ष स्तर के पद</u>

(वेतनमान रु० 6500–10,500)

क्र०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	कार्यपालक दंडाधिकारी (अनुमंडलवार सूची संलग्न)	294
2	<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>	
	(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी	534
	(ii) सहायक परियोजना पदाधिकारी (डी० आर० डी० ए०)	38
3	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>	
	(i) अंचल अधिकारी	516
	(ii) चकबंदी पदाधिकारी	133
	(iii) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	12
	(iv) सहायक निदेशक, सर्वे, गुलाजारबाग	2
	(v) सांख्यिकी पदाधिकारी (मुख्यालय)	1

	(vi) अनुदेशक, चकबंदी	3
4	समाज कल्याण विभाग	
	(i) सहायक निदेशक	1
	(ii) प्रशिक्षण पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	1
	(iii) प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी	1
	(iv) महिला आय सृजन पदाधिकारी, विश्व बैंक	1
	(v) सामुदायिक सहभागिता पदाधिकारी	1
5	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	65
6	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग उपाधीक्षक, पशुगणना	1
7	नगर विकास एवं आवास विभाग (i) सचिव, नगर निगम	7
	(ii) नगर कार्यपालक पदाधिकरी (नगर पंचायत)	73
	कुल	1684

(सूची 'छ')

जिला मुख्यालय के लिए वरीय उप समाहर्त्ता के स्वीकृत पदों का आनुपातिक वितरण

क्र०	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	पटना जिला मुख्यालय	9
2	नालन्दा जिला मुख्यालय	6
3	रोहतास जिला मुख्यालय	5
4	कैमूर जिला मुख्यालय	4
5	भोजपुर जिला मुख्यालय	4
6	बक्सर जिला मुख्यालय	3
7	गया जिला मुख्यालय	8
8	नवादा जिला मुख्यालय	4
9	जहानाबाद जिला मुख्यालय	3
10	अरवल जिला मुख्यालय	3
11	औरंगाबाद जिला मुख्यालय	4
12	सारण जिला मुख्यालय	6
13	सिवान जिला मुख्यालय	5
14	गोपालगंज जिला मुख्यालय	4

15	मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय	6
16	सीतामढ़ी जिला मुख्यालय	5
17	शिवहर जिला मुख्यालय	2
18	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला मुख्यालय	6
19	पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला मुख्यालय	4
20	वैशाली जिला मुख्यालय	5
21	दरभंगा जिला मुख्यालय	5
22	मधुबनी जिला मुख्यालय	5
23	समस्तीपुर जिला मुख्यालय	5
24	सहरसा जिला मुख्यालय	4
25	सुपौल जिला मुख्यालय	3
26	मधेपुरा जिला मुख्यालय	3
27	पूर्णियाँ जिला मुख्यालय	5
28	अररिया जिला मुख्यालय	3
29	किशनगंज जिला मुख्यालय	3
30	कटिहार जिला मुख्यालय	5
31	भागलपुर जिला मुख्यालय	6
32	बाँका जिला मुख्यालय	3
33	मुंगेर जिला मुख्यालय	3
34	लखीसराय जिला मुख्यालय	2
35	शेखपुरा जिला मुख्यालय	2
36	जमुई जिला मुख्यालय	3
37	खगड़िया जिला मुख्यालय	3
38	बेगूसराय जिला मुख्यालय	5
	कुल	164

(सूची 'ज')

जिलावार अनुमंडलों के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी के पदों का आनुपातिक वितरण

क्र०	जिलावार अनुमंडल का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	पटना जिला	
	पटना सदर	4
	मसौढ़ी	4
	पटनासिटी	4
	दानापुर	3

	बाढ़	4
	पालीगंज	3
2	<u>नालन्दा जिला</u>	
	बिहारशरीफ	4
	हिलसा	3
	राजगीर	4
3	<u>रोहतास जिला</u>	
	सासाराम	4
	विक्रमगंज	3
	डिहरी	3
4	<u>कैमूर (भभुआ) जिला</u>	
	भभुआ	4
	मोहनिया	3
5	<u>भोजपुर जिला</u>	
	आरा सदर	4
	जगदीशपुर	2
	पीरो	2
6	<u>बक्सर जिला</u>	
	बक्सर	4
	डुमरांव	3
7	<u>गया जिला</u>	
	गया सदर	4
	टेकारी	2
	शेरघाटी	3
	नीमचक बथानी	2
8	<u>नवादा जिला</u>	
	नवादा सदर	4
	रजौली	3
9	<u>जहानाबाद जिला</u>	
	जहानाबाद	3
10	<u>अरवल जिला</u>	
	अरवल	3
11	<u>औरंगाबाद जिला</u>	
	औरंगाबाद	4
	दाउदनगर	3

12	सारण जिला	
	छपरा सदर	4
	मढ़ौरा	3
	सोनपुर	3
13	सिवान जिला	
	सिवान	4
	महाराजगंज	3
14	गोपालगंज जिला	
	गोपालगंज	4
	हथुआ	3
15	मुजफ्फरपुर जिला	
	मुजफ्फरपुर पूर्वी	4
	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3
16	सीतामढ़ी जिला	
	सीतामढ़ी	4
	पुपरी	2
	बेलसंड	3
17	शिवहर जिला	
	शिवहर	3
18	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला	
	मोतिहारी	4
	अरेराज	2
	चकिया	2
	पकड़ीदयाल	2
	रक्सौल	2
	सिकरहना	2
19	पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला	
	बेतिया	4
	बगहा	3
	नरकटियागंज	2
20	वैशाली जिला	
	हाजीपुर	4
	महुआ	2
	महनार	3

21	दरभंगा जिला	
	दरभंगा	4
	बेनीपुर	2
	बिरौल	2
22	मधुबनी जिला	
	मधुबनी	4
	जयनगर	2
	फुलपरास	3
	बेनीपट्टी	2
	झंझारपुर	2
23	समस्तीपुर जिला	
	समस्तीपुर	4
	रोसड़ा	3
	पटोरी	2
	दलसिंहसराय	3
24	सहरसा जिला	
	सहरसा सदर	4
	सिमरी बख्तियारपुर	2
25	सुपौल जिला	
	सुपौल	3
	त्रिवेणीगंज	2
	निर्मली	2
	वीरपुर	2
26	मधेपुरा जिला	
	मधेपुरा	3
	उदाकिशनगंज	2
27	पूर्णियाँ जिला	
	पूर्णियाँ	3
	वायसी	2
	धमदाहा	2
	बनमनखी	2
28	अररिया जिला	
	अररिया	3
	फारबिसगंज	2

29	किशनगंज जिला	
	किशनगंज	4
30	कटिहार जिला	
	कटिहार	4
	बारसोई	2
	मनिहारी	2
31	भागलपुर जिला	
	भागलपुर	4
	कहलगाँव	2
	नवगछिया	3
32	बाँका जिला	
	बाँका	4
33	मुंगेर जिला	
	मुंगेर	3
	हवेली खड़गपुर	2
	तारापुर	2
34	लखीसराय जिला	
	लखीसराय	3
35	शेखपुरा जिला	
	शेखपुरा	3
36.	जमुई जिला	
	जमुई	4
37	खगड़िया जिला	
	खगड़िया	3
	गोगरी	2
38	बेगूसराय जिला	
	बेगूसराय	2
	मंझौल	2
	बखरी	2
	तेघड़ा	2
	बलिया	2
	कुल	294

[6]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 15. 01. 2007

विषय– बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेकर कृषि विभाग के अधीन पदस्थापित करने के संबंध में ।

वर्त्तमान में बिहार कृषि सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को ग्रामीण विभाग के अन्तर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदों पर पदस्थापित किया जाता है । राज्य विभाजन के बाद इस राज्य की अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि आधारित हो गयी है । बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों की कमी एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य पदों पर कृषि सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापित रहने के कारण कृषि से संबंधित विकास योजनाओं का कार्यान्वयन समुचित रूप से नहीं हो रहा है ।

2. पदाधिकारियों की कमी के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी एक से अधिक प्रखंड एवं अंचलों के प्रभार में हैं जिसके कारण कार्यों के ससमय निष्पादन में कठिनाई होती है। ग्रामीण स्तर के कार्यों का त्वरित निष्पादन एवं जन–आकांक्षाओं के ससमय निष्पादन हेतु विभागीय संकल्प 12579 दिनांक 09.12.2006 के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के एक ही पदाधिकारी को अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों के निष्पादन हेतु पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

3. प्रखंड स्तर पर राजस्व/भूमि सुधार/भूमि अतिक्रमण/जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों को निष्पादन करने की शक्ति सिर्फ उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को ही प्राप्त है ।

4. बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी को राजस्व/भूमि सुधार/भूमि अतिक्रमण/जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अतएव वे प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहकर उपर्युक्त दायित्वों का निष्पादन नहीं कर सकते हैं ।

5. उपर्युक्त उत्पन्न परिस्थितियों में बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों की कमी, कृषि से संबंधित विकास योजनाओं का त्वरित निष्पादन एवं लोकहित में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण विकास विभाग में बिहार कृषि सेवा के पदस्थापित सभी पदाधिकारियों की सेवाएँ कृषि विभाग के अन्तर्गत उन्हें विभागीय पदों पर पदस्थापन हेतु एक साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कृषि विभाग को तुरंत वापस कर दी जाय ।

6. बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों की सेवाएँ ग्रामीण विकास विभाग में सौंपने संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा ।

7. उक्त निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

आदेश :–इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करायी जाय और सभी संबंधित को इसकी सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12/प०–1050/2001 का०–647 पटना–15, दिनांक 15.01.2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

मोहन कुमार सरकार
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–12/प०–1050/2001 का०–647 पटना–15, दिनांक 15.01.2007

प्रतिलिपि– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मोहन कुमार सरकार
सरकार के उप सचिव

---

[7]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 09. 12. 2006

विषय– प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन के संबंध में दिशा निदेश।

वर्त्तमान में प्रत्येक प्रखंड/अंचलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर अलग–अलग पदस्थापन की व्यवस्था है। बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की कमी के कारण एक ही पदाधिकारी एक से अधिक अंचलों/प्रखंडों के प्रभार में हैं जिससे कार्य के त्वरित निष्पादन में कठिनाई हो रही है। विकास कार्यों को गतिशील बनाने एवं जन–आकांक्षाओं के ससमय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :–

(क) राज्य के प्रत्येक प्रखंड में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के एक पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाएगा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी दोनों पदों के दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार प्रखंडों को कर्णांकित किया गया है।

(ग) राजस्व विभाग के लिए कर्णांकित अंचलों/प्रखंडों में राजस्व विभाग द्वारा अंचल अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा।

(घ) ग्रामीण विकास विभाग के लिए कर्णांकित प्रखंडों/अचलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाएगा तथा राजस्व विभाग द्वारा उनको अंचल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा।

(च) राजस्व विभाग के लिए कर्णांकित जिलों के उन प्रखंडों/अंचलों में जहाँ अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों पदस्थापित हैं, से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वहाँ के अंचलाधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहाँ से स्थानान्तरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कर्णांकित जिलों के उन प्रखंडों में पदस्थापित किया जायगा, जहाँ अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई भी पदस्थापित नहीं है। उसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग के लिए कर्णांकित जिलों के उन प्रखंडों/अंचलों में जहाँ अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों पदस्थापित हैं, से राजस्व विभाग द्वारा वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देते हुए अंचल अधिकारी को राजस्व विभाग के लिए कर्णांकित जिलों के उन अंचलों में पदस्थापित किया जाएगा जहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी कोई भी पदस्थापित नहीं हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है कि सामान्य रूप से कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रत्येक वर्ष के जून माह में ही किया जाएगा। लेकिन लोकहित में तत्काल वर्त्तमान में जहाँ अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी में से कोई भी पदस्थापित नहीं हैं वहाँ के लिए कंडिका "च" के अनुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन किए जाएँगे।

उपर्युक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

आदेश– इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधरण अंक में जन–साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाय तथा सभी संबंधित को इसकी सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12/प०–1050/2001 का०–12579 पटना–15, दिनांक 09.12.2006

प्रतिलिपि– सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12/प०–1050/2001 का०–12579 पटना–15, दिनांक 09.12.2006

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

अनुसूची – 1

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पदस्थापन हेतु कर्णांकित जिलों/प्रखंडों की सूची:–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्र.सं.	प्रमंडल/जिला का नाम	प्रखंड की सं०
1	पटना प्रमंडल	
	पटना	23
	भोजपुर	14
	बक्सर	11
	नालन्दा	20
	रोहतास	19
	कैमूर	11
2	भागलपुर प्रमंडल	
	भागलपुर	16
	बाँका	11
3	दरभंगा प्रमंडल	
	दरभंगा	18
	मधुबनी	21
	समस्तीपुर	20
4	सारण प्रमंडल	
	सारण	20
	सिवान	19
	गोपालगंज	14
5	पूर्णियॉ प्रमंडल	
	पूर्णिया	14
	कटिहार	16
	कुल योग –	267

ग्रामीण विकास विभाग

क्र.सं.	प्रमंडल/जिला का नाम	प्रखंड की सं०
1	मगध प्रमंडल	
	गया	24
	जहानाबाद	07
	अरवल	05
	नवादा	14
	औरंगाबाद	11
2	मुंगेर प्रमंडल	
	मुंगेर	09
	लखीसराय	07
	शेखपुरा	06
	जमुई	10
	बेगूसराय	18
	खगड़िया	07
3	तिरहुत प्रमंडल	
	मुजफ्फरपुर	16
	वैशाली	16
	सीतामढ़ी	17
	शिवहर	05
	पूर्वी चपारण	18
	पश्चिमी चपारण	27
4	कोशी प्रमंडल	
	सहरसा	10
	सुपौल	11
	मधेपुरा	13
5	पूर्णियॉ प्रमंडल	
	अररिया	09
	किशनगंज	07
	कुल योग	267

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

[8]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय– **बिहार** प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 1231 दिनांक 06.02.1997 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्गत किया गया है। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत में कनीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण की कंडिका 'ग' में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन हेतु कनीय प्रवर कोटि के उन्हीं पदाधिकारियों में से किया जायेगा जिनकी आयु 50 वर्ष से कम हो।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त प्रावधान को संशोधित करने का अनुरोध करते हुए अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जिला पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु उम्र सीमा का कोई बन्धेज नहीं है। जिलाधिकारी के बाद प्रशासनिक कार्यों के दायित्व की जिम्मेवारी सीधे अनुमंडल पदाधिकारी की ही होती है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु निर्धारित उम्र सीमा का निर्धारण उचित नहीं है।

3. उपर्युक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने विभागीय संकल्प सं० 1231 दिनांक 06.02.1997 में कनीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी कंडिका "ग" में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन संबंधी उल्लिखित अधिकतम उम्र सीमा को तत्काल के प्रभाव से विलोपित करने का निर्णय लिया है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
वि० के० हलदर
सरकार के सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12/प० (क०)–1021/2003 का०–197 पटना–15, दिनांक 11.01.2004

प्रतिलिपि– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

उनसे यह अनुरोध है इसकी 1000 हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें।

नितेन चंद्र
सरकार के अपर सचिव

संकल्प ज्ञापांक–12/प० (क०)–1021/2003 का०–197 पटना–15, दिनांक 11.01.2004

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नितेन चंद्र
सरकार के अपर सचिव